न्यायालय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, प्रथम, शिवहर।

वाद संख्या–C2-13/2021

दिनांक–23.02.2021

काराधीन अभियुक्त–1. सीताराम राम, जिनका मामलां वाद संख्या–C2-13/2021 अंतगर्त धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अपराध के लिए दर्ज के संदर्भ में दि0–13.02.2021 से कारा अभिरक्षा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार मिश्र के द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री ब्रजेश कुमार सिंह को सुना गया।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त दि0–13.02.2021 से कारा में हैं। आवेदक सक्षम बंध पत्र देने को तैयार हैं तथा उनके प्रपलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक राजीव रंजन, निरीक्षक मद्य निषेध, शिवहर, सशस्त्र बल एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ दि0–12.02.2021 को छापेमारी के दौरान सीताराम राम के घर की तलाशी के क्रम में प्लास्टिक के एक जरकिन में अवैध चुलाई शराब 05 लीटर बरामद हुआ। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्रस्तुत वाद के नामजद अभियुक्त है तथा प्रस्तुत वाद में दि0–13.02.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में है। प्रस्तुत वाद के अनुसार आवेदक अभियुक्त के घर से 05 लीटर अवैध चुलाई शराब बरामदगी का आरोप है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–1. सीताराम राम, के द्वारा मो0–10,000/– (दस हजार रुपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है, कि अभियुक्त के दोनों जमानतदार स्थानीय होने चाहिए, जिनके पास पर्याप्त अचल सम्पत्ति हो 2. आवेदक अभियुक्त इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगें कि वे विचारण/अनुसंधान के दौरान पूर्ण सहयोग करेगें एवं 3. आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

Khyati Singh

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
दिनांक–23.02.2021